पूज्य बापूजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत कर्ता लड़की के विवादित आयु और जोधपुर केस में जमानत के विषय में और जोधपुर प्रकरण में लगी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अहमदावाद केस में जमानत याचिका को नहीं स्वीकारा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होनी है। आज मध्यान्तर में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों माननीय न्यायधीश टी एस ठाकुर और माननीय न्यायधीश सी नागप्पन की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए क्रमश: पूज्य बापूजी के लिए सीनियर एडवोकेट ललित, अहमदावाद केस के लिए सीनियर एडवोकेट लूथरा और मामले में सह-आरोपी बनाये गये छिंदवाड़ा गुरूकुल के डायरेक्टर श्री शरद के लिए श्री शेखर नाफडे ने पैरवी की। इस दौरान शिकायत कर्ता लडकी के विवादित आयु और एक लम्बे समय तक जमानत न दिये जाने को इन सीनियर एडवोकेट्स ने एक दमदार तरीके से रखा। माननीय न्यीयधीशों ने इससे सहमत होते हुए जोधपुर केस में विपक्षी पार्टियों राजस्थान सरकार के पक्षकार एडवोकेट और यूनियन ऑफ इण्डिया को 19 अगस्त को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर दिया हैं। वहीं अहमदावाद केस में जमानत याचिका का पहले गुजरात हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में दाखिल न करने की वजह से वापस लेने को कहा है।

गौरतलब है कि पिछले फरवरी-मार्च में जोधपुर पुलिस को जॉच के दौरान शिकायत कर्ता लड़की के प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल से कुछ और अन्य ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जिससे उसके बालिग होने की पुष्टि होती है और साथ ही यह मामला उन दिनों मीडिया में बड़े जोर-शोर से भी उठता रहा। जोधपुर पुलिस निचले कोर्ट्स में कई बार याचिका लगाकर मांगे जाने के बावजूद भी इन दस्तावेजों को कोर्ट में संदिग्ध बताकर बचती रही है। यदि शिकायत कर्ता लडकी की आयु की जॉच में उसके बालिग होना सिद्ध हो जाता है तो पोक्सो जैसे कड़े कानून की धाराओं का लगे जाना गलत साबित होगा जिसके तहत जोधपुर केस की अभियोजन करने वाले स्पेशल कोर्ट का दायरा समाप्त हो जायेगा। इसलिए केस में पोक्सो की गलत अनिवार्यता को लेकर कई प्रश्न इन याचिकाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाये गये थे।

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान शिकायत कर्ता लड़की के लिए पैरवी कर रही तथाकथित 'सेक्यूलर' पार्टियों से सम्बंध रखने वाली एक्टिविस्ट वकील कामिनी जायसवाल नोटिस न इश्यू करने को लेकर बीच-बीच में पुरजोर विरोध करती रही, परन्तु कोर्ट ने विषय को गंभिरता से लेते हुए प्रोसिक्यूशन को अगली तारीख पर आने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दिए निर्देश में याचिका की प्रति विरोधी पक्ष को उपलब्ध कराने के बावजूद भी विरोधी पक्ष सुनवाई में नदारद दिखा। अंतत: मीडिया में जमानत याचिका खारिज होने की खबर विरोधाभास से भरी हुई है और पूर्णतया एकतरफा है।

Source: Briefing by TEAM SAFSAC Representative, pursuing the petition for Shri Sharath Chand Pottala, Director of Chhindwara Gurukul.